भाग-1 नगरीय स्थानीय निकाय

अध्याय-प्रथम

नगरीय स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) में परिकल्पित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसी विधियों में नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल होने चाहिए।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (74वां संशोधन) के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में संपूर्ण और जीवंत संस्थायें बनाये गये थे। तद्नुसार राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में, बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों[1] के लिये नगर परिषद मे पुर्नगठित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य की सामान्य जानकारी नीचे दी गई है-

विवरण	इकाई	राज्य के ऑकड़े	संपूर्ण देश के ऑकड़े
जनसंख्या*	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग*	प्रतिशत	6	--
शहरी जनसंख्या*	करोड़	2	38
शहरी जनसंख्या का भाग*	प्रतिशत	28	31
साक्षरता दर*	प्रतिशत	71	74
लिंगानुपात* (स्त्री, प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	930/1000	940/1000
नगर पालिक निगम	संख्या	14#	139@
नगर पालिका	संख्या	100#	1595@
नगर परिषद	संख्या	263#	2108@

स्त्रोतः *आंकडे 2011 की जनगणना के अनुसार

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल

@ तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थाऐं

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को अधिकार क्षेत्र में सौंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य के प्राधिकारियों को पर्यवेक्षण कार्य सहित, शक्ति प्राप्त है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शहरी नगरीय निकाय की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार हैः-

[1] इससे अभिप्राय है कि राज्य वार जनसंख्या धनत्व, राजस्व उत्पत्ति, कृषि गतिविधियों, आर्थिक महत्व आदि के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

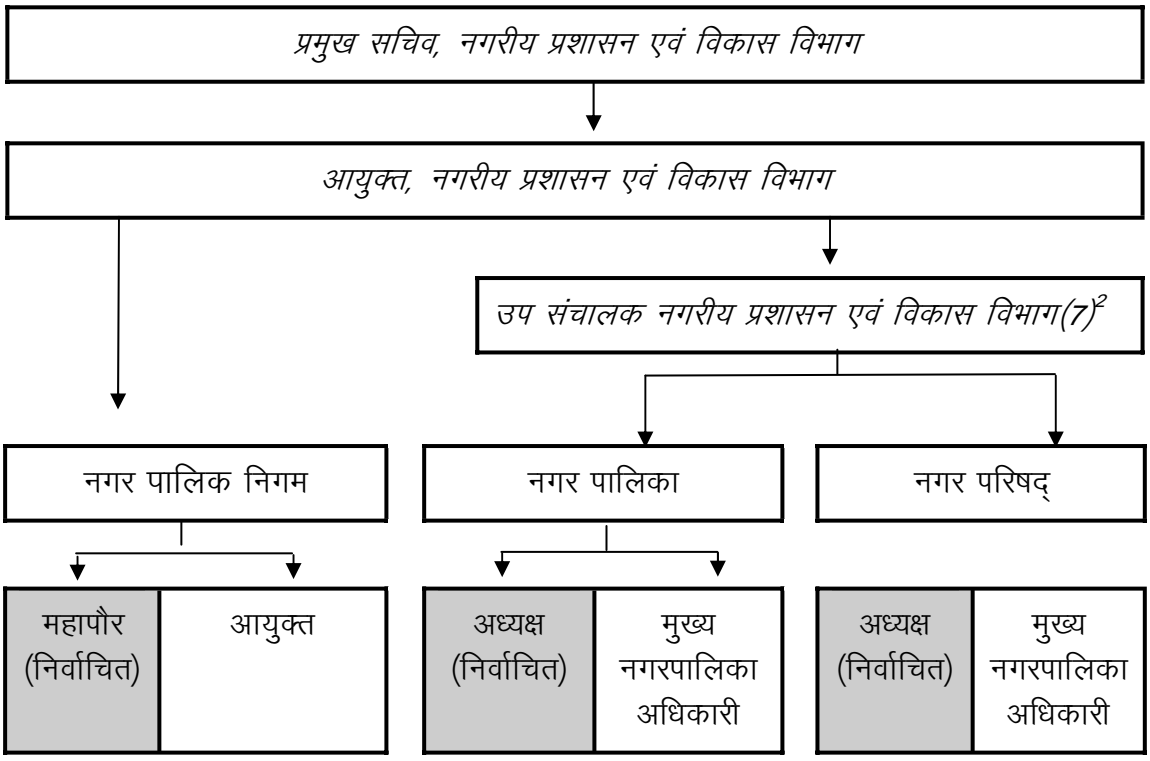

1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राज्य के कुल 377 नगरीय स्थानीय निकायों में से (14 नगर पालिक निगम, 100 नगर पालिका और 263 नगर परिषद) लेखा परीक्षा योजना में 80 नगरीय स्थानीय निकाय (10 नगर पालिक निगम, 20 नगर पालिका तथा 50 नगर परिषद) शामिल किये गये थे। जिसमें से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के (10 नगर पालिक निगम, 18 नगर पालिका तथा 40 नगर परिषद) अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई। वर्ष 2011-12 में जिसका विवरण **(परिशिष्ट 1.1)** में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा आयोजना की तुलना में कम लेखा परीक्षा का मुख्य कारण मनरेगा समीक्षा में अमले की पदस्थापना रही।

1.4 लेखांकन की व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति और भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने नगरीय स्थानीय निकायों के बजट और लेखा प्रारूपों की अनुशंसा हेतु एक कार्यदल गठित किया गया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रोम्दवन आधारित लेखाओं को अपनाने का सुझाव दिया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जुलाई 2007 में प्रकाशित नगर पालिका लेखा मैन्यूअल में उक्त् प्रारूपों (फार्मेट) को अपनाया गया है।

वर्ष 2011-12 में 68 नगरीय स्थानीय निकायों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान पाया गया है कि मात्र 10 नगर पालिक निगमों[3] द्वारा लेखाओं को प्रोम्दवन आधार पर बनाया गया।

---

[2] इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा

[3] इन्दौर, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, सिंगरौली, कटनी, बुरहानुपर

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (अगस्त 2012)।

1.5 लेखापरीक्षा की व्यवस्थाऐं-

1.5.1 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा (नवंबर 2001) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन लायी गयी। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान 68 नगरीय स्थानीय निकायों जिसमें 10 नगर पालिक निगम शामिल है की नमूना जांच की गयी और संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन भेजी गयी।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 में उल्लेख है कि राज्य की सभी स्थानीय निकायों की तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौपा जाये एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाए। तदनुसार राज्य शासन ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। वित्त मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2012 में उक्त् प्रतिवदेनो को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। स्थानीय निकायों पर तैयार लेखा परीक्षा सामग्री पर कार्यवाही करने हेतु लोक लेखा समिति के अनुरूप एक समिति गठित करने हेतु फरवरी 2013 में एक पत्र राज्य शासन को लिखा गया।

1.5.2 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय-2 के पैरा 2.2 के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सृजित किया जाना चाहिये। आंतरिक लेखा परीक्षा का क्षेत्र औचित्य लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण व कार्यप्रणाली मे पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास विभाग के वर्ष 2011-12 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, अगस्त 2012 तक स्थापित नहीं की जा सका था।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2012 में इंगित किये जाने पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

1.5.3 तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने हेतु किये गये हमारे प्रयास।

लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 की धारा 152 से 154 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा सी.ए.जी (डी पी सी) एक्ट 1971 की धारा 20(।) के अंतर्गत की जाती है। लेखापरीक्षा विभाग तथा राज्य शासन के अधिकारियों की (नवंबर 2008) बैठक में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय

स्थानीय निकायों के अधिनियम व संहिताओं में आवश्यक संशोधन किये जाने की सहमति हुई। लेखा प्रारूपों को स्वीकार करने, वित्त के डाटाबेस तैयार करने तथा आंतरिक नियंत्रक प्रणाली विकसित की जानी थी। लेखा संहिताओं में आवश्यक संशोधन किये जायेगे तथा राज्य स्तर कमेटी तथा एपेक्स कमेटी गठित की जायेगी।

उपरोक्त कार्यों हेतु लगातार प्रयास किये जाने से नेशनल म्युनिसिपल एकाउटिंग मैन्यूअल के आधार पर (मार्च 2013), राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एकाउटिंग मैन्यूअल जुलाई 2007 में प्रकाशित किया गया तथा अप्रैल 2008 में लेखा प्रारूपों को अपनाया गया। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा आयोजना तैयार की जाकर अनुमोदन हेतु प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया जाता है। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अमले को प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय समिति के गठन हेतु नियमित पत्र व्यवहार किया जा रहा है जिससे समिति द्वारा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर कार्यवाही की जा सके। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं वित्त के डाटा बेस विकसित करने हेतु सहमति हुई है।

1.6 राजस्व के स्त्रोत

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्त्रोत है (I) सरकारी अनुदान और (II) स्वयं का राजस्व। स्वयं का राजस्व स्त्रोत में नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के कर राजस्व और गैर कर राजस्व, जो उनके द्वारा संग्रहित किया गया हो, सम्मिलित किया जाता है।

शासकीय अनुदानों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन तथा भारत सरकार का अंशदान सम्मिलित है।

नगरीय स्थानीय निकाय, शहरी विकास के लिए राज्य शासन से या राज्य शासन की पूर्व अनुमति से अन्य स्त्रोतों से भी ऋण प्राप्त करते हैं।

1.7 बजट आवंटन एवं व्यय

भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान सहित बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिये आवंटित निधि (राज्य के कर राजस्व में अंश, योजना निधि, तथा अनुदान आदि) निम्नानुसार रही:-

तालिका क्र. – 1

(₹करोड़ में)

स. क्र.	बजट आवंटन				व्यय			बचत (5-8)	बचत का प्रतिशत
	वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कुल	राजस्व	पूंजीगत	कुल		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2007-08	2027.08	306.30	2333.38	1695.40	305.55	2000.95	332.43	14
2.	2008-09	2263.38	355.24	2618.62	2112.90	205.42	2318.32	300.30	11
3.	2009-10	2878.76	391.83	3270.59	2726.60	208.54	2935.14	335.45	10
4.	2010-11	3577.21	323.15	3900.36	2983.60	202.64	3186.24	714.12	18
5.	2011-12	4148.30	208.00	4356.30	3743.23	152.54	3895.77	460.53	11

स्त्रोत- विनियोग लेखें

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष् 2007-12 के दौरान बचत 10 से 18 प्रतिशत तक रहा।

स्वयं के स्त्रोतों से नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण संचालनालय स्तर पर संधारित नहीं किया गया। आयुक्त् नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अगस्त 2012 में बताया गया कि उक्त् का संलकन किया जायेगा तथा लेखा परीक्षा को प्रस्तुंत किया जायेगा। इस संबंध में पुनः नवंबर 2012 में राज्य शासन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जानकारी मांगी गयी तथा मई 2013 में स्मरण पत्र जारी किया गया किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.8 कम अनुदान जारी किया जाना

राज्य शासन ने तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभाजनीय कोष[4] की एक प्रतिशत राशि नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपे जाने की सहमति (जनवरी 2010) प्रदान किया, किन्तु राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को निर्धारित अंश की देय राशि जारी नहीं की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है-

तालिका क्र- 1.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य शासन का विभाजनीय कोष	तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सौंपे जाने वाली निधि	राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से सौंपी गयी निधि	कम जारी की गयी निधि
2010-11	13960.22	139.60	122.74	16.86
2011-12	17410.17	174.10	141.41	32.69
योग	**31370.39**	**313.70**	**264.15**	**49.55**

स्त्रोत- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

[4] विभाजनीय कोष से आशय पूर्व वर्ष के कुल कर राजस्व में से 10 प्रतिशत कर एकत्रित करने पर उस व्यय को घटाकर तथा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपें गये कर राजस्व घटाकर प्राप्त राशि से है।

विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कम राशि जारी किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं किये गये (नवंबर 2012)। मई 2013 में स्मरण पत्र जारी किये जाने के बावजूद उत्तर अप्राप्त रहा।

1.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(I) के अनुसार आवर्ति अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा पूर्व वर्ष मे जारी अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये अनुदान जारी किया जाना चाहिये । तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार पूर्व में आहरित किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी किश्त जारी की जावेगी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त 2012 तक प्राप्त नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है-

तालिका क्र.–1.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	योग	नगरीय स्थानीय निकायों से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या
2008-09	115.73	72.20	187.93	338
2009-10	131.09	72.20	203.29	357
2010-11	122.74	139.39	262.13	360
2011-12	141.41	202.10	343.51	360
योग	**510.97**	**485.89**	**996.86**	**1415**

स्त्रोत- जानकारी आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

आयुक्त्, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु (मई 2013) पत्र जारी किया गया। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (जूलाई 2013), कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हुये ।

1.10 लेखा परीक्षा की बकाया कण्डिकाओं की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के प्रावधानों के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी रीति से करेगें जैसा कि वे अपनी रिपोर्ट की कंडिकाओं में करते हैं।

नगरीय स्थानीय निकायों संबंधी प्रधान महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

तालिका क्र.- 1.4

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय			
		निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित आपत्तियों की संख्या
1.	2007-08	3109	514	0	3623
2.	2008-09	3623	778	61	4340
3.	2009-10	4340	598	0	4938
4.	2010-11	4938	453	193	5198
5.	2011-12	5198	797	409	5586

स्त्रोत- सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा-I का मासिक बकाया प्रतिवेदन

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से नियमित पत्राचार करने के बावजूद लम्बित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किये गये। इस संबंध में अद्यतन पत्राचार अप्रैल 2013 में किया गया।

1.11 बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना-

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97-98 के प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बही शेष एवं बैंक खाता शेष के अंतर की राशि का प्रत्येक माह समाधान किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा के दौरान (2011-12) पाया गया कि वर्ष 2011-12 के अंत में नौ नगरीय स्थानीय निकायों मे बैंक पासबुक की तुलना में रोकड़ बही का शेष ₹ 5.70 करोड़ कम था तथा दो नगरीय निकायों में बैंक पास बुक की तुलना में रोकड़ बही का शेष ₹1.09 करोड़ अधिक था। अंतर की राशि का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर में बताया गया कि समाधान शीघ्र ही किया जायेगा। मासिक बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किये जाने के कारण नगरीय स्थानीय निकायों की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं हो सकी। अद्यतन स्थिति मई 2013 में मांगी गयी किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.12 कर राजस्व/गैर कर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना।

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय स्वयं के स्त्रोतों जैसे कर, किराया, फीस तथा लाइसेंस जारी किये जाने इत्यादि से राजस्व अर्जित करते हैं।

लेखा परीक्षा में हमने पाया कि 18 नगरीय स्थानीय निकाय (चार नगर पालिक निगम[5], आठ नगर पालिका[6] तथा छः नगर परिषद[7]) में सम्पत्ति कर तथा भवन व दुकानों के किराये से संबंधित राशि ₹ 49.23 करोड़ का कर राजस्व मार्च 2012 तक कर दाताओं से वसूली हेतु (**परिशिष्ट-1.3** में दर्शाये अनुसार) लंबित था। । इसी प्रकार 17 नगरीय

---

5 नगर पालिका निगम खंडवा, रतलाम उज्जैन

6 दमोह, झाबुआ, करेली, खरगौन, मुरैना, नागदा, नरसिंहपुर एवं पेटलाबाद

7 बानमोर, व्यौहारी, कन्नौद, मानपुर, सतवास एवं ओरछा

स्थानीय निकायों में जल कर संबंधी गैर कर राजस्व की राशि ₹21.95 करोड़, जो चार नगर पालिक निगमों[8] , सात नगर पालिकाओं[9] तथा छः नगर परिषदों[10] से संबंधित था, माह मार्च 2012 तक वसूली लंबित रही। विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शित है। यद्यपि उपरोक्त् अधिनियम की धारा 173 से 183 में नगरीय स्थानीय निकायों को यह शक्तियां दी गई है कि वसूली के लिये यथोचित निर्णय लेकर बकायादारों की चल/ अचल संपत्ति को बेचने और कुर्क करने संबंधित कार्यवाही कर सकता है, किन्तु निकाय बकाया की वसूली की कार्यवाही करने मे विफल रहे जिससे विकास कार्य प्रभावित हुये।

वर्ष 2012 में इंगित किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर में बताया गया कि वसूली की जायेगी। मार्च 2013 में अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.13 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना-

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 112(2) के अनुसार जबतक व्यय एक माह के अंदर किया जाना संभावित न हो तब तक किसी भी प्रकार के अग्रिम का आहरण नहीं किया जाना चाहिये। नियम 112(6) के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम लेजर के लेखाओं का शेष प्रत्येक तिमाही संतुलित कर लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।

अभिलेखों की नमूना जाँच वर्ष 2011-12 मे पाया गया कि छः नगर पालिक निगमों[11], तीन नगर पालिकाओं[12] तथा चार नगर परिषदों[13] में अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 8.56 करोड़ **(परिशिष्ट 1.5)** कर्मचारियों एवं एजेन्सियों के विरूद्ध एक से 33 वर्षों की अवधि तक असमायोजित थे।

वर्ष 2012 में इंगित किये जाने पर संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारिंयों ने उत्तर दिया कि अग्रिमों की वसूली की जायेगी। माह मार्च 2013 में अद्यतन स्थिति मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.14 दुकानों के किराये तथा प्रीमियम राशि की वसूली नहीं की जाना।

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 57,59 तथा 60 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अचल सम्पत्तियों पर किराया/प्रीमियम लगाया तथा वसूल किया जाना है।

नगर पालिक निगम रतलाम, तीन नगर पालिकाओं (झाबुआ, नरसिंहपुर तथा शहडोल) तथा तीन नगर परिषदों (बानमोर, हरदा तथा सतवास) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2012 के अंत तक दुकान किराया तथा प्रीमियम की राशि ₹ 1.41 करोड़[14] वसूली हेतु लंबित थी।

---

8 भोपाल, खंडवा, रतलाम, उज्जैन

9 दमोह, करेली, खरगोन, मुरैना, नागदा, नरसिंहपुर, पेटलाबाद

10 बानमोर, व्यौहारी, कन्नौद, मानपुर, सतवास, ओरछा

11 भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, रीवा व उज्जैन

12 दमोह,हरदा व जावरा

13 बानमोर व्यौहारी, सतवास एवं ओरछा

14 रतमाम ₹ 43.85 लाख, झाबुआ ₹ 15.66 लाख, नरसिंहपुर ₹ 5.92 लाख, शहडोल ₹ 55.73 लाख, बानमोर ₹1.10 लाख, हरदा ₹ 18.28 लाख तथा सतवास ₹ 0.90 लाख

वर्ष 2012 में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम तथा उक्त् निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मई 2013 में अद्यतन जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.15 निष्कर्ष-

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नगरीय निकायों द्वारा बजट एवं लेखे संधारित नहीं किये गये।

(पैरा 1.4)

- नगरीय स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं की गई।

(पैरा 1.5.2)

- नगरीय स्थानीय निकायों के प्राप्ति एवं व्यय की जानकारी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संधारित नहीं की गई।

(पैरा 1.7)

- नगरीय स्थानीय निकायों को कम निधियां जारी किया गया।

(पैरा 1.8)